

चोरी की 12 मोटरसाइकिल के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामलीला मैदान रेलवे ग्राउण्ड के पास से अभियुक्तगण मानसिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी कहिनौर थाना सरायलखन्सी, सुन्दरम् पुत्र स्व0 दिनेश निवासी कांशीराम आवास सिकटिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 12 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। चोरी की मोटरसाइकिलों के बारे में कड़ाई से पुछताछ में बताये किं भीड़-भाड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर एक जनपद से दुसरे जनपद में बेचते है। इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 356/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 3(5), 112 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. मानसिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी कहिनौर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. सुन्दरम् पुत्र स्व0 दिनेश निवासी कांशीराम आवास सिकटिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. चोरी की 12 अदद मोटरसाइकिल।

अपराधिक इतिहास मानसिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह-

1. मु0अ0सं0 356/21 धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 446/22 धारा 379,411,414 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 447/22 धारा 41,411,414 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 356/24 धारा 303(2),317(2),317(4),317(5),318(4),3(5),112 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

अपराधिक इतिहास सुन्दरम् पुत्र स्व0 दिनेश-

1. मु0अ0सं0 367/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 261/23 धारा 323,354,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 356/24 धारा 303(2),317(2),317(4),317(5),318(4),3(5),112 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह सर्विलांस सेल जनपद मऊ मय टीम।

3. उ0नि0 शंकर कुमार यादव, उ0नि0 अर्जुन सिंह, हे0का0 रितेश राय कोतवाली नगर, हे0का0 जगदीश सिंह मौर्य एसओजी टीम, का0 विराट पटेल स्वाट टीम, का0 राहुल मौर्य कोतवाली, का0 मनीष राय कोतवाली, का0 रवि किरण सिंह कोतवाली नगर जनपद मऊ ।

कोपागंज पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.10.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर महुआर प्राथमिक विद्यालय कोपागंज के पास से जिलाबदर अभियुक्त पवन कुमार पुत्र स्व0 संजय निवासी महुआर बसगितायाँ थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया । थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 291/24 धारा 4/10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त-

1. पवन कुमार पुत्र स्व0 संजय निवासी महुआर बसगितायाँ थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 291/24 धारा 4/10 गुण्डा अधिनियम थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
2. मु0अ0सं0 575/20 धारा 504,506 भादवि व धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. मु0अ0सं0 178/18 धारा 147,313,323,354क,452 भादवि थाना हलधरपुर जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0 2364/23 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना एण्टी पावर थैप्ट जनपद मऊ ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ, का0 मंजीत कुमार, का0 अजय कुमार, का0 चा0 हे0का0 कृष्ण कुमार सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।